FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

...न ......धूंकाराम वगै......... बनाम ......श्यामलाल वगै.......

...मुकदमा ......प्रा० पत्र टी० आई०....... मुकदमा नं. FT-86/2019 सन् 2019

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11/19	वकील प्रार्थीगण श्री भजनाराम ने हाजिर अदालत होकर प्रा० पत्र टी० आई० पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। स्थगन पर बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई टी० आई० से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1430/1317, 1432/1317, 1317/2, 1318/1, 1318/2 व 1318/3 तन ग्राम लावनी तहसील खण्डेला में प्रचलित रास्ता व नींव डोल में हस्तक्षेप न करें। उक्त उल्लेखित आदेश का उल्लेख करते हुए अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 17/12/19 को पेश हो। [initials]	2861-64 21-11-19
17/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 बावजूद सम्मन तामिल हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण में बहस प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गयी। [initials]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दरवक्त बहस प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तादौराने ~~फैसल~~ फैसल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के ~~तीन~~ तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगण को तादौराने फैसल वाद विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करे, गलत नक्शा की आड़ में सींव डोल खुर्द-बुर्द नहीं करे, गलत नक्शा की आड़ में भूमियों को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें, रास्ता की गलत तरमीम की आड़ में जबरन नया रास्ता नहीं निकाले, मौके पर चालू रास्ता अवरूद्ध नहीं करे। प्रतिवादी नं. 2 ता 4 गलत राजस्व रिकार्ड व गलत नक्शा की आड़ में वादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करे, ना ही अपने कारकुनिन्दों

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	से करावें; मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रणजीत सिंह) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला	